<u>विहार सरकार</u> <u>मानव संसाधन विकास विभाग</u> <u>कार्यालय आदेश</u>

पटना दिनांक - 16-01-20[0 गौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के पत्रांक एफ - '323/10/आर०ई० - 98/10 दिनांक 05.05.2010 के आलोक में विश्वविद्यालय क क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चल रहे मदरसों / संस्थानों / संस्थाओं / ज्ञान संसाधन केन्द्रों में नामांकन हेतु अधिकतम छात्र संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

1	व्यावसायिक	स्नातक	पाठ्यक्रम
---	------------	--------	-----------

- 2. व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम
- व्यावसायिक सर्टीिफकेट पाठ्यक्रम .
- 4. आलिम पाठ्यकम
- 5. फाजिस पाट्यक्म

60 सीट प्रति विषय प्रति केन्द्र।

60 सीट प्रति विषय प्रति केन्द्र।

60 सीट प्रति विषय प्रति केन्द्र।

60 सीट प्रति विषय प्रति मदरसा

40 सीट प्रति विषय प्रति मदरसा

(क्रेंठ केठ प्रस्तक) संचिव

ज्ञापांक - 15/2011-129/2010-2264 पटना दिनांक - 16-07-2010

प्रतिलिपि: कुलसचिव, <u>मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना</u> को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

·._

संचिव

क्रे० पाठक)